संख्या-218/2016/आर-5850/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2-निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 15 दिसम्बर 2016

विषयः- शैक्षिक सत्र-2016-17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समूह-1,2,3 व 4 के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्रों हेतु संशोधित समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-215/2016/आर-5833/26-3-2016-4(358)/07टी.सी.।।।, दिनांक-13.12.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत समूह-1,2,3 व 4 के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिये संशोधित समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक-एन.आई.सी.(यू.पी.एस.यू.)सोशलवेल/2016/728, दिनांक-13.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त शासन के उक्त पत्र दिनांक-13.12.2016 द्वारा निर्गत की गयी संशोधित समय-सारिणी के बिन्दु संख्या-7 पर अंकित प्रक्रियात्मक कार्यवाही (छात्र-छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना) हेतु निर्धारित तिथि 14 व 15 दिसम्बर, 2016 के स्थान पर तिथि 16, 17 एवं 18 दिसम्बर, 2016 की जाती है। अन्य प्रक्रियात्मक कार्यवाही हेतु तिथियां यथावत रहेंगी।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2016-17 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव

पृ0सं0-218/2016/आर-5850(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in